

	2. समिति में पाँच से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे और निर्धारित किए गए कारणों और तरीके से समिति को समाप्त (विघटन) अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है ।	
	26. ग्राम परिषद का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के पाए जाने अथवा ग्राम परिषद के गठन में कोई त्रुटि होने अथवा इसकी कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा ।	रिक्तियों के विद्यमान होने के कारण कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।
	अध्याय – IV ग्राम परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य	
	27. (1) ग्राम परिषद की निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक ग्राम परिषद का यह कर्तव्य है कि द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मामलों के सम्बन्ध में इसके क्षेत्राधिकार के भीतर उचित प्रावधान रखें । (2) उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्राम परिषद गाँव क्षेत्र के भीतर कोई अन्य कार्य अथवा उपाय जिसके तहत ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा या सामाजिक और/अथवा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रावधान कर सकता है ।	कर्तव्य और कार्य
	28. (1) ग्राम परिषद सभी सड़कों, गलियों, पुल, पुलिया और इसके निर्देश के अंतर्गत अन्य सम्पत्तियाँ, जिसका प्रबन्धन और नियंत्रण धारा 35 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा किया जाता है, के रख-रखाव और इसके मरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य करें और विशेषकर (क) ऐसे किसी सड़क को चौड़ा करना, खोलना, बड़ा करना अथवा अन्यथा ऐसे किसी सड़क, पुल अथवा पुलिया की मरम्मत करना तथा ऐसे सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना तथा वृक्षों संरक्षण करना । (ख) धारा 35 की उप धारा (1) के खण्ड ग में बताए गए जल स्रोत को गहरा करना अथवा अन्य सम्पत्ति का सुधार करना ; और (ग) सार्वजनिक सड़क अथवा गली के किसी झाड़ी अथवा पेड़ शाखा को काटना । (2) ग्राम परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी सड़कों, गलियों, जलमार्ग (नहर) पुल और पुलिया पर ग्राम परिषद का नियंत्रण होगा जो निजी सम्पत्ति नहीं है अथवा कुछ समय के लिए सम्पत्ति सरकार के नियंत्रणाधीन है और इनके सुधार, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सरकार आवश्यक कार्य करेगी विशेषकर	विशेष सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद का नियंत्रण